प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां विभिन्न प्रतिवेदनों में सम्मिलित है। संघ सरकार के लिए, वैज्ञानिक विभागों, रक्षा सेवाएं- थल सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं- वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।